

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-3/2022-स्था. (भर्ती) (भाग IV)
No.F.2-3/2022-Estt.(RCT) (Vol.I V)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29
दिनांक: **08 APR 2024**

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति ।
Subject: - Promotion to the post of Junior Administrative Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 31.01.2024 को कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक को पे मेट्रिक्स के लेवल-6 में कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 31.01.2024 and its acceptance by the Competent Authority, the following **Senior Administrative Assistant** are promoted to the post of **Junior Administrative Officer** in the Level-6 the pay matrix from the date they assume the charge of the post of **Junior Administrative Officer**:-

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	Category	Promotion against the category	विभाग / अनुभाग Department / Section
1.	Sh. Prakash Sharma	Gen.	UR	Dept. of TII
2.	Sh. Santosh	SC	UR	JPNATC

हालाँकि, उनकी वरिष्ठता कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् 31.01.2024 से प्रभावी होगी।

However, their seniority in the post of **Junior Administrative Officer** will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 31.01.2024.

कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बडसा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुशल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge to the post of Junior Administrative Officer.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया ।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएँ वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र में स्थानांतरित है। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[विश्वेश चतुर्वेदी /VISHWESH CHATURVEDI]
प्रशासनिक अधिकारी /ADMINISTRATIVE OFFICER

संबन्धित व्यक्ति /Persons concerned

द्वारा: उनके संबन्धित ऑफिसर इनचार्ज

Through:- Officer-in-Charge

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. चीफ़; जे पी एन ए टी सी // Chief:- JPNATC
2. विभाग प्रमुख:- टी आई आई //HOD:- TII
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी :- (नि.का.)/जे पी एन ए टी सी //Senior Administrative Officer /
Administrative Officer : DO/JPNATC
4. स्थापना अनुभाग (नि.का.) / जे पी एन ए टी सी/Establishment Section (DO)/JPNATC/
5. लेखा अनुभाग-II एवं III//जे पी एन ए टी सी//Accounts Section II & III/JPNATC
6. सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section
7. सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ पी व /महिला प्रकोष्ठ
Vigilance Cell / ACR's Cell /SC/ST/OBC/Women Cell
8. संरक्षण मिसिल // Guard File
9. Professor-in-charge Computer Facility - with the request to upload the same on Institute website